न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 58/2017 (2019/00381)

श्री धारू पुत्र श्री छगना जाति मीना उम्र 65 वर्ष निवासी भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर

--प्रार्थी

बनाम

1.मिश्री पुत्र उगमा मीना निवासी भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर ।
2.तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 15.11.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर की आराजी खसरा नंबर 1540/911 रकबा 0.26 हैक्टर किस्म बारानी 3 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है इस आराजी मे किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न ही वास्ता व सरोकार है इस आराजी मे आने जाने हेतु एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौड़ा है जो खसरा नंबर 911/1412 सार्वजनिक भूमि मे स्थित आम रास्ते से होकर खसरा नंबर 1464/911 रकबा 0.72 है0 किस्म बा0 3 की दक्षिणी मेड़ पर स्थित है तथा उक्त आराजीयात खसरा नंबर 1464/911 राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी मे दर्ज है और प्रार्थी की आराजीया तमे आने जाने का उक्त सार्वजनिक भूमि मे स्थित रास्ता वर्तमान खसरा नंबर 911/1412 एवं खसरा नंबर 1464/911 मे मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 10.10.2019 से ही उक्त रास्ते मे से होकर प्रार्थी को आने जाने मे बाधा उत्पन्न करने लग गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी मे दर्ज होने के कारण आये दिन रास्तेको हांक कर अवरूद्ध कर देता है। प्रार्थी को इससे आराजी को काश्त करने करने के लिए कृषि यंत्र ट्रेक्टर बैलगाडी आदि से कृषि उपज लाने एवं पशुओ वगैराह के आने जाने मे बाधा उत्पन्न करते है। वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी को उक्त कदीमी रास्ते मे से होकर आने जाने से मना कर दिया है तथा आमादा फिसाद रहते है। प्रार्थी की कृषि आराजीया तमे आने जाने का बैलगाड़ी ट्रेक्टर ट्रोली कृषि उपज लाने ले जाने पशुओ आदि को आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता 20 फुट चौड़ा आराजी खसरा नंबर 911/1412 सार्वजनिक भूमि मे स्थित आम रास्ते से होकर जो अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की आरजी खसरा नंबर 1464/911 रकबा 0.72 है0 किस्म बारानी 03 मे स्थित हे को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अवरूद्ध कर दिये जाने की स्थिति मे खुलासा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे भी रास्ते का इन्द्राज किया जावे। राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मे भी रास्ता तरमीम किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 को आदेश दिया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि उक्त कदीमी रास्ते का अवरूद्ध नही करें। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। प्रकरण श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री राजेन्द्र गर्ग अभिभाषक द्वारा अन्डरटेकिग पेश की उसके बाद उपस्थित नहीं हुए है अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयीं। तहसीलदार सावर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सावर ने अपने का[illegible] कमांक/भू.अ./2021/1486 दिनांक 23.09.2021 से प्रेषित की है जिसके [illegible] आराजी खसरा नंबर 1540/911 रकबा 0.26 है किस्म बा[illegible] की मुख्य आबादी से ग्राम पंचायत टांकावास(भांडावास)के [illegible] 983/922 रकबा 1.60 वाले रास्ते का उपयोग कर रहे है जो आगे सिवायचक र[illegible] नंबर 983 मे से होकर खेत पर पहुॅच रहा है। प्रार्थी के खसरा नंबर 1540/911 से निकटतम कटानी रासता खसरा नंबर 522 गैर मुमकिन रास्ता है,उक्त रास्ते एवं प्रार्थी के खेत के मध्य खसरा नंबर 1583/911 एवं 911 ही आते है जो निकटतम एवं कटानी रास्ते से मिलान करते है। प्रार्थी कि खसरा नंबर 1540/911 पर पहुॅचने वाले समस्त कटानी रास्तो मे से खसरा नंबर 522 गै.मु.

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रास्ता से ही खेत मे आने जाने मे आसानी है। पूर्व प्रचलित रासता बंद हो जाने से रास्ता दिया जाना उचित है। खसरा नंबर 1511/911 मे से 0.05 है0 आबादी भूमि जो वर्तमान मे रिक्त पड़ा हुआ है। प्रार्थी वर्तमान मे खसरा नंबर 522 से ग्राम पंचायत की आबादी खसरा नंबर 1583/911 एवं सिवायचक खसरा नंबर 911 मे से होकर जा रहा है,एवं प्रार्थी उक्त खसरा नंबर से ही खेत पर पहुंच का 30 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज करवाने का इच्छुक है। खसरा नंबर 1583/911 मे से 76 मीटर लम्बा व 7 मीटर चौड़ा कुल 532 वर्गमीटर तथा सिवायचक खसरा नंबर 911 मे से 40 मीटर लम्बा व 7 मीटर कुल 280 वर्गमीटर रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम भाण्डावास जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 88–85 खसरा संख्या 1540/911 रकबा 0.26 है0 मे आने जाने हेतु दिलवाया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 हाजिर नहीं हुए है। पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर द्वारा अपनी बहस मे जवब मे अंकित कथनो को दौहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि रास्ता हेतु दिया जाना उचित बताया है।

मैने पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाकै ग्राम जमाबंदी भाण्डावास संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 88–85 खसरा नंबर 1540/911 रकबा 0.26 है0 मे आने जाने हेतु 1583/911(आबादी भूमि) मे से 0.05 है0 तथा खसरा संख्या 911 (सिवायचक भूमि) रकबा 0. 03 है0 भूमि डी0एल0सी0 दर 202881रू प्रति हैक्टर की दर से प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर तहसीलदार अप्रार्थीगण आबादी भूमि (ग्राम पंचायत),सिवायचक भूमि (राज्य सरकार)को भुगतान करने की कार्यवाही करे, उक्त रास्ते की नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड मे सार्वजनिक रास्ता के रूप मे इन्द्राज किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश मजमे आम प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2021 शिविर भाण्डावास मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner